दिनांकः 13.12.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा दिनांक 07.07.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 तथा धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी का कथन है कि टंकन की गलती से बयानतहरीरी में चंद शब्द गलत टाइप हो गया है और कुछ शब्द छुट गया है जिसके लिए बयान तहरीरी में मरम्मत करना जरूरी है यह कि प्रतिवादी सं0 2 अनपढ़ तथा गंवार आदमी है यह कि दिनांक 05.07.2022 को जब प्रार्थी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र बनवाने गया तो प्रथम बार भूल के बारे में जानकारी हुई यह कि बयान तहरीरी के पैरा न0 7 में पेज सं0 3 के चौथी पंक्ति तथा 7वीं पंक्ति, 9वीं पंक्ति, 10वीं पंक्ति। बयान तहरीरी के पैरा सं0 8 की तीसरी पंक्ति, बयान तहरीरी के पैरा सं0 11 की चौथी पंक्ति, 7वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति पृष्ठ सं0 5 पर खेष्ठा शब्द को खेसरा बना दिया जाए और इसी पैरा के तीसरी पंक्ति बयान तहरीरी के पैरा न0 12 के तीसरी पंक्ति पृष्ठ सं0 5 के पैरा 14 की दूसरी पंक्ति इसी पैरा के चौथी पंक्ति एवं 5वीं पंक्ति में संशोधन करने की इजाजत देने की कृपा करें। ।

वादी ने अपने प्रतिउत्तर में कहा कि प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया आवेदन कानून के खिलाफ है मामले में वादी का साक्ष्य समाप्त हो गया है और प्रतिवादी का साक्ष्य शुरु होने वाला है चूंकि वादी का साक्ष्य हो चुका है इसलिए संशोधन आवेदन मंजूर होने से वादी को नुकसान होगा अतः आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले में प्रतिवादी सं0 2 के आवेदन और वादी के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी के द्वारा अपने लिखित कथन में जो संशोधन चाहा गया है वह संशोधन विचारण प्रारंभ होने के बाद दिया गया है चूंकि कोई भी संशोधन सामान्य स्थितियों में विचारण के पूर्व हो जाना चाहिए परंतु प्रस्तुत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया संशोधन जैसा कि उसका कथन है कि प्रतिवादी मूर्ख व्यक्ति है और संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं और उसका वाद में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं परंतु चूंकि यह विलंब से दिया गया आवेदन है अतः 1500रु खर्च जो मोतिहारी जिला न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा, के साथ प्रतिवादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।